न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 77 / 2025

जी.सी.एम.एस. नं.: 2025 / 144

1. श्योकरण पुत्र चौथूराम जाति जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रार्थी

वनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व एवं भू.अ. श्रीविजयनगर

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री नवीन सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::— **दिनांक : 25/8/25**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि चक 19 एसडी खाता सं. 77 प.नं. 127 / 408 मु.नं. 13 कि.नं. 1 ता 20, 22 ता 25 का 6.072है. व प.नं. 128 / 48 मु.नं. 12 कि.नं. 1 ता 15, 18 का 4.048 कुल 10.120 है. अनकमाण्ड खातेदारी में आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि चक 19 एसडी खाता सं. 1 प.नं. 127 / 408 मु.नं. 13 कि.नं. 21 का 0.253है. गै.मु. शमशान में से दक्षिणी पासा बट के साथ साथ 2 बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जाचं रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर पत्रांक / 507 दिनांक 10.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की भूमि को लगने वाला निकटतम व लघुतम रास्ता है तथा मौका पर बन्द है।
3. वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में [illegible] हेतु कोई रास्ता नहीं है, वांछित मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जो [illegible] कटता है। प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है [illegible] हेतु निवेदन किया।
4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण [illegible] मार्ग गै.मु. शमशान भूमि में से होकर [illegible] गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत एक खातेदार द्वारा अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता की मांग की जाकर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। राजस्व(ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक / प. 03(52)राज—6 / 12 / 4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसरण में डीएलसी दर की दो गुणा राशि प्रतिकर के बदले राजकीय भूमि में से रास्ता प्रदत्त किया जा

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:14 IST
Reason: SelfAttested

सकता है। प्रार्थी द्वारा खाता सं. 1 राजकीय भूमि जो गै.मु. शमशान दर्ज है में से रास्ता की मांग की गयी हैं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल प्रस्ताव ग्राम पंचायत 10 सरकारी सं. 03/20.03.2025 अनुसार शमशान भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयगनर अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित मार्ग ही लघुतम है तथा प्रार्थी को भूमि में आवागमन हेतु कोई मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ता की मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है तथा प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा चक 19 एसडी खाता सं. 1 में दर्ज भूमि प.नं. 127/408 मु.नं. 13 कि.नं. 21 का 0.253है. गै.मु. शमशान में से दक्षिणी पासा पत्थर लाईन के साथ साथ 2 बिस्वा गैर मु. रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ता में आई भूमि की एवज में भूमि डीएलसी दर की दोगुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रतिकर राशि की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25/8/2025 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:14 IST
Reason: SelfAttested